बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय:- **1 जनवरी, 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूहों (Cluster) में निर्मित आवासों जो वर्त्तमान में जीर्ण-शीर्ण हैं, के निर्माण हेतु 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' की स्वीकृति के संबंध में ।**

1 जनवरी 1996 से जवाहर रोजगार योजना से अलग कर स्वतंत्र रूप से इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया । इसके पूर्व वर्ष 1980 से प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम (NREP), एवं 1983 से आरंभ की गई ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए आवास निर्माण की योजना चलाई गई थी । वर्ष 1985-86 से जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवास का निर्माण कराने की योजना चलाई गई । उक्त योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले चुने हुए लोगों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ उनके लिए आवास का निर्माण भी कराया गया है । इन योजनाओं के अंतर्गत चुने हुए अनेक परिवारों का गुच्छ समूह (Cluster) में आवास का निर्माण कराया गया ।

2. 1 जनवरी 1996 से पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूहों में निर्मित अनेक आवास जीर्ण-शीर्ण होने के कारण लाभुक परिवारों के समक्ष एक तरफ जहाँ जीर्ण-शीर्ण आवास में असुरक्षित जीवन बिताने की विवशता है, वहीं दूसरी ओर आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में लाभान्वित होने के कारण वे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ पाने के पात्र नहीं रह गये हैं ।

3. 1 जनवरी 1996 से पूर्व गुच्छ समूहों में निर्मित आवास वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी जिनका आवास वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण है, के समक्ष आवास की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया है ।

4. योजनार्न्तगत 1 जनवरी 1996 से पूर्व गुच्छ समूहों में निर्मित आवास वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ऐसे लाभुकों जिनका आवास वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण है, को आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रूपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी ।

5. इस योजना को आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में भी यथावत जारी रखा जा सकेगा ।

6. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षोपरान्त गुण-दोष के आधार पर योजना में आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधन करने के लिए विभाग स्वयं सक्षम होगा ।

7. योजनान्तर्गत पात्र लाभुकों को सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/8/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386653 पटना, बिहार 30/08/18

ग्रा0वि-5/प्र0आ0यो0 (नि0अ0)-102-72/2018

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

30/8/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386653 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386653 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386653 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386653 पटना, बिहार 30/08/18

प्रतिलिपि - श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

30/8/2018

सरकार के सचिव